न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायपुर (छ.ग.)

//आदेश//

2025051110002 86. प्र.क.–अ/62 वर्ष 2024–2025

कमांक/ 05 /स्टेनो/अ.वि.अ./2025

रायपुर, दिनांक 26/05/2025

आवेदक सीसीआई मांढर कॉलोनी टेकारी तथा पथरी खदान क्षेत्र में शुबबुल एवं नीलगिरी के वृक्ष बहुतायत में उग आए है जंगल जैसे स्थिति के कारण सांप, बिच्छू, जंगली जानवर इत्यादि से सीसीआई में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों में भ व्याप्त होने के कारण सीसीआई मांढर इकाई के संयंत्र परिसर संयंत्र क्षेत्र से कॉलोनी टेकारी तथा पथरी खादान क्षेत्र में उगे सभी शुबबुल तथा नीलगिरी के वृक्षो की कटाई की अनुमति चाही गई है।

उपरोक्त आवेदन के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन में संलग्न गोसवार के आधार पर **नीलगिरी –208, शुबबूल–1440** नग **कुल– 1648** विभिन्न प्रजाति के वृक्ष को छ0ग0 भू–राजस्व सहिंता 1959 की धारा 240, 241 के तहत निम्न शर्तों के अधीन काटने की अनुमति दी जाती है:–

1/ वृक्षों की कटाई वन मण्डलाधिकारी द्वारा नामजद अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष काटी जायेगी तथा आसपास की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जायेगा।

2/ काटे जाने वाले वृक्षों का यदि कोई मुआवजा हो तो वृक्ष काटने के पूर्व संबंधित भूमि स्वामी को भुगतान विधिवत अनिवार्यतः कर दी जावे।

3/ काटे गये एक वृक्ष के बदले 10 वृक्ष (कम से कम 5 फीट की ऊंचाई वाले) जिस स्थान से वृक्ष काटी जावेगी, के नजदीक उपलब्ध उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाया जावेगा यदि नजदीक में उपयुक्त स्थान नही मिलने पर वन विभाग द्वारा बतलाये गये स्थान पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है। लगाये गये वृक्ष। के रख रखाव एवं उनको जीवित रखने का दायित्व आवेदक विभाग का ही होगा। वृक्ष काटने का कार्य कण्डिका 3 के अनुसार वृक्षारोपण कार्यपूर्ण होने के पश्चात ही किया जावेगा।

4/ वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वन मंडल, रायपुर द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों को जो शासन के स्वामित्व की है, के कलेवरो की नीलामी कराकर प्राप्त प्रतिफल की राशि का नियमानुसार शासकीय मद में जमा कराना सुनिश्चित करे।

5/ वनमंडलाधिकारी, वनमंडल रायपुर के पत्र कमांक/व.त.अ./रा./1357 रायपुर, दिनांक 02.05.2024 का अनिवार्यतः पालन किया जावे।

6/ उपरोक्त समस्त विभाग वृक्ष कटाई से संबंधित प्रचलित विधिक प्रावधान/नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिये कटिबद्ध रहेंगे। कभी भी विधिक प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है यह आदेश शून्य माना जायेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
रायपुर (छ0ग0)

पृ. कमांक 06 /स्टेनो/अ.वि.अ./2025

रायपुर, दिनांक 26/05/2025

प्रतिलिपि:–

1/ वनमंडलाधिकारी, वनमंडल रायपुर के पत्र कमांक/व.त.अ./रा./1357 रायपुर, दिनांक 02.05.2025 का अनिवार्यतः पालन किया जावे।

2/ राजस्व निरीक्षक रायपुर को सूचनार्थ।

3/ आवेदक कार्यकारी प्रभारी सीसीआई मांढर सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मांढर धरसींवा जिला–रायपुर (छ0ग0) को कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/ तहसीलदार रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायपुर (छ0ग0)

26/5/2025